



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1262

New Delhi: 26.09.2022

श्री रामदत्त शर्मा

पुत्र श्री रामकिशन शर्मा

7/206, सूर्यनगर, चांदपुर रोड

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

मोबाइल-9286644427

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 07.09.2022, जो CGM/मेरठ के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 26.09.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा

महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved

Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

पत्रांक-एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / मेरठ / वोल्यूम-8

दिनांक: 22.09.2022

26/9/2022

जेजीएम/एडमिन (सीपीआईओ),
डीएफसीसीआईएल, कार्गोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विषय: जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आवेदनकर्ता श्री रामदत्त शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा, पता म0 नं0-7/208 सूचनगर,
चौदपुर रोड, जिला-बुलन्दशहर। मो0 नं0 9286644427 का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2022
(इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 14.09.2022)।

उपरोक्त के संदर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना जनसूचना अधिकार अधिनियम,
2005 के अर्न्तगत निम्नवत है।

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	ग्राम भौरा तहसील सिकन्दरबाद जनपद बुलन्दशहर में स्थित गाटा सं0-439 में बोरिंग लगा हुआ था, जो रेलवे लाईन निर्माण करने पर आपके द्वारा नष्ट कर दिया, भूमि के मुआवजे के साथ बोरिंग का मुआवजा बनाया गया था या नहीं भुगतान की कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।	ग्राम भौरा तहसील सिकन्दरबाद जनपद बुलन्दशहर की राजस्व टीम एवं डीएफसीसीआईएल अधिग्रहण द्वारा स्थल पर की गयी अर्जित भूमि की संयुक्त सर्वे आख्या (J.M.S.) में गाटा सं0 439 से अर्जित भूमि पर कोई बोरिंग स्थित होना नहीं दर्शाया गया है। उक्त ग्राम में कोई प्रतिकर धनराशि निर्धारित नहीं की गयी। अपर जिलाधिकारी /सक्षम प्राधिकारी बुलन्दशहर द्वारा घोषित अभिनिर्णय दिनांक 04.08.2011 के अनुसार भूमि का प्रतिकर पूर्व में ही दिया जा चुका है।

संलग्नक: आवेदनकर्ता श्री रामदत्त शर्मा का प्रार्थना पत्र।


उप परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
उप जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि:

- (1) मुख्य महाप्रबन्धक/डीएफसीसीआईएल, मेरठ - को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।
- (2) जीएम/एमए/ईसी-III - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
- (3) जेजीएम/एमए/ईसी-II - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।